

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/3016

दिनांक: 12.07.2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/दिव्या मिश्रा

पुत्र/पुत्री/पति श्री

पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वाणिज्य विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्मावित शोध शीर्षक: Ayushmaan Bharat Yojna: A Revolution in helth and medical sector (An Economical and comparative effect of the scheme in case of Barabanki Distrivt).

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० अशोक कुमार मिश्रा, साकेत।**शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति:** स्वीकृत।**अन्य टिप्पणी:**

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या1..... का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० अशोक कुमार मिश्रा, का०सु०साकेत पी०जी०कालेज, अयोध्या को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव



दूरभाष नं०-05278-245957

05278-246223

ई-मेल- rmlauregistrar@gmail.com

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/3005

दिनांक: 12-07-2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/आदर्श कुमार शुक्ल
पुत्र/पुत्री/पति श्री प्रदीप कुमार शुक्ल
पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वाणिज्य विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक:**शोध निर्देशक:** डॉ०/प्रो० विनोद प्रताप सिंह, गोण्डा।**शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति:** स्वीकृत।**अन्य टिप्पणी:**

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नानंकित क्रम संख्या1..... का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० विनोद प्रताप सिंह, एल०बी०एस०पी०जी०कालेज, गोण्डा को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/3006

दिनांक: 12.03.2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/नेहा सिंह
पुत्र/पुत्री/पति श्री मनोज कुमार सिंह
पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वाणिज्य विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: Swachh Bharat Mission (SBM): A step towards environmental protection and health concerns (with special reference to Barabanki district Eastern Uttar Pradesh)।

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० डॉ० धर्मवीर, बाराबंकी।**शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति:** स्वीकृत**अन्य टिप्पणी:**

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या1..... का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० धर्मवीर, संत बाबा बैजनाथ राजकीय पी०जी०कालेज, बाराबंकी को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/3007

दिनांक: 12-03-2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/सुनंदिनी मिश्रा

पुत्र/पुत्री/पति श्री राम कुमार मिश्रा

पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वाणिज्य विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: Ayushman Bharat Initiative: what we stand to gain or lose (A study with reference to Barabanki District of eastern.

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० डॉ० धर्मवीर, बाराबंकी।

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या1..... का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० धर्मवीर, संत बाबा बैजनाथ राजकीय पी०जी०कालेज, बाराबंकी को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/3008

दिनांक: 12.03.2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/प्रिया

पुत्र/पुत्री/पति डॉ० मणिशंकर तिवारी

पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वाणिज्य विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: The e-Commerce after Covid-19 in India**शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० डॉ० अशोक कुमार श्रीवास्तव, रिसिया, बहराइच।****शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत।****अन्य टिप्पणी:**

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नानांकित क्रम संख्या1..... का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव**प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० अशोक कुमार श्रीवास्तव, गायत्री विद्यापीठ महाविद्यालय रिसिया, बहराइच को सूचनार्थ।****उप-कुलसचिव**

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/3009

दिनांक: 12.03.2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/शिवम गुप्ता
पुत्र/पुत्री/पति श्री अनिल गुप्ता
पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वाणिज्य विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक:**शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० डॉ० नीलम मौर्या, मुसाफिरखाना।****शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत।****अन्य टिप्पणी:**

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या1..... का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव**प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० नीलम मौर्या, राजकीय महाविद्यालय, मुसाफिरखाना को सूचनाार्थ।****उप-कुलसचिव**

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/3010

दिनांक: 12.05.2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/वर्तिका अवस्थी

पुत्र/पुत्री/पति श्री अविनाश अवस्थी

पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वाणिज्य विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्मावित शोध शीर्षक: A study on performance Appraisal of Public Sector Banks in India-A Case study of Punjab National Bank ।

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० डॉ० नीलम मौर्या, मुसाफिरखाना।**शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत।****अन्य टिप्पणी:**

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या1..... का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० नीलम मौर्या, राजकीय महाविद्यालय, मुसाफिरखाना को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव



दूरभाष नं०-05278-245957

05278-246223

ई-मेल- rmlauregistrar@gmail.com

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/3015

दिनांक: 12.07.2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/अंकिता यादव

पुत्र/पुत्री/पति श्री अरुण कुमार यादव

पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वाणिज्य विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: Impact on employment in Indian economy post COVID (with special reference to Ayodhya District of Uttar Pradesh.

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० मिर्जा शहाब शाह, साकेत

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत।

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या1..... का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० मिर्जा शहाब शाह, का०सु०साकेत पी०जी०कालेज, अयोध्या को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/3014

दिनांक: 12.07.2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/गीता देवी यादव
पुत्र/पुत्री/पति श्री राम प्रताप यादव
पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वाणिज्य विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: ग्रामीण विकास में बैंक की भूमिका सुल्तानपुर जनपद में ग्रामीण बैंक का विशेष अध्ययन।

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० राशिद अली, के०एन०आई०, सुल्तानपुर।

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत।

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या1..... का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० राशिद अली, के०एन०आई०पी०एस०एस०, सुल्तानपुर को सूचनाार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/3013

दिनांक: 12.03.2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/आदर्श कुमार शुक्ल

पुत्र/पुत्री/पति श्री प्रदीप कुमार शुक्ल

पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वाणिज्य विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: उत्तर प्रदेश के जनपद-बहराइच के ग्रामीण आर्थिक विकास में भारतीय स्टेट बैंक की योजनाओं का योगदान।

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० विनोद प्रताप सिंह, गोण्डा।**शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति:** स्वीकृत।**अन्य टिप्पणी:**

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या1..... का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क ₹ 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विद्यारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या ₹ 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० विनोद प्रताप सिंह, एल०बी०एस०पी०जी०कालेज, गोण्डा को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/3011

दिनांक: 12.03.2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/अजय पटेल

पुत्र/पुत्री/पति श्री

पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वाणिज्य विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: Impact on India economy in COVID-19 for the particularly small industrial area of Uttar Pradesh.

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० डॉ० मोती लाल वर्मा, परइया आश्रम।**शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत।****अन्य टिप्पणी:**

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या1..... का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० मोतीलाल वर्मा, बी०बी०डी०पी०जी०कालेज परइया आश्रम, अम्बेडकरनगर को सूचनार्थ।

Dep
उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/3012

दिनांक: 12.03.2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/अनन्त रतन सिंह

पुत्र/पुत्री/पति श्री

पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वाणिज्य विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक:**शोध निर्देशक:** डॉ०/प्रो० डॉ० जय शंकर शुक्ल, के०एन०आई०, सुल्तानपुर**शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति:** स्वीकृत।**अन्य टिप्पणी:**

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या1..... के समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० जय शंकर शुक्ल, के०एन०आई०पी०एस०एस०, सुल्तानपुर को सूचनार्थ।


उप-कुलसचिव